रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 341] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 15, 1970/भाद्र 24, 1892

No. 341] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 15, 1970/BHADRA 24, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## MINISTRY OF FINANCE

**(Department of Revenue and Insurance)**

NOTIFICATION

*New Delhi, the 15th September 1970*

**S.O. 3115.**—In exercise of the powers conferred by section 109 of the Gold (Control) Act, 1968 (45 of 1968), the Central Government, being of opinion that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that every licensed dealer, refiner or other person who makes a consolidated quarterly declaration under section 16 of the said Act, read with the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue and Insurance, No. S.O. 377, dated 24th January, 1969, shall be exempted from the provisions of sub-section (10) of section 16 of the said Act, if—

(i) he endorses, on the copy of the consolidated quarterly declaration retained by him, the date on which the further consolidated declaration for the quarter immediately following was made by him and the number under which that declaration was recorded in the office of the Gold Control Officer; and

(ii) such endorsement is made within fifteen days from the date on which the copy of the said further quarterly declaration as recorded by the Gold Control Officer is received back by such licensed dealer, refiner or other person.

[No. F. 1/198/68-GC. II.]

JASJIT SINGH, Jt. Secy.

## वित्त मंत्रालय

### राजस्व और बीमा विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1970

का०आ० 3115.—स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 (1968 का 45) की धारा 109 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, एतद्द्वारा निदेश देती है कि प्रत्येक अनुज्ञप्त व्यौहारी, परिष्कारक या अन्य व्यक्ति को, जो भारत सरकार के राजस्व और बीमा विभाग की अधिसूचना सं० का० आ० 377, तारीख 24-1-1969 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 16 के अधीन समेकित त्रैमासिक घोषणा करता है, उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (10) के उपबन्धों से मुक्त कर दिया जायेगा यदि—

(i) वह अपने पास रखी गई समेकित त्रैमासिक विवरण की प्रति पर वह तारीख जिस को उसके द्वारा ठीक पश्चातवर्ती तिमाही के लिए अतिरिक्त समेकित घोषणा की गई थी, और वह संख्या जिसके अन्तर्गत वह घोषणा स्वर्ण नियंत्रण अधिकारी के कार्यालय में अभिलिखित की गई थी, पृष्ठांकित करता है ; और

(ii) ऐसा पृष्ठांकन उस तारीख से, जिसको स्वर्ण नियंत्रण अधिकारी द्वारा यथा-अभिलिखित उक्त अतिरिक्त त्रैमासिक घोषणा की प्रति ऐसे अनुज्ञप्त व्यौहारी, परिष्कारक या अन्य व्यक्ति को वापिस मिलती है, पन्द्रह दिन के अन्दर किया जाता है ।

[सं० एफ० 1/198/68-जी०सी०II .]

जसजीत सिंह, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970